झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–53/2020

बिनोद मेहता उर्फ बिनोद प्रसाद मेहता .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्री सुधीर कुमार महतो, ए0पी0पी0।

4/24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, ईचाक थाना काण्ड संख्या 288 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता को पकड़ लिया गया था और उसके खुलासे पर, अवैध शराब के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए थे। याचिकाकर्त्ता 14.11.2019 से हिरासत में है।

अभिरक्षा की अवधि के संदर्भ में, उपरोक्त नामित अभियुक्त को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान एस0डी0जे0एम0, हजारीबाग की संतुष्टि पर, ईचाक थाना काण्ड संख्या 288 वर्ष 2019 के संदर्भ में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)